ई–रिक्शा वाहन (बैट्री चालित तिपहिया वाहन) की वर्तमान प्रास्थिति एवं तद्नुसार अपेक्षित कार्यवाही।

दिनांक 08.10.2014 को भारत सरकार द्वारा पहली बार ई–रिक्शा को व्यवसायिक मोटरवाहन की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है एवं इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या– GSR 709(E) दिनांक 08.10.2014, SO 2590(E) दिनांक 08.10.2014, GSR 27(E) दिनांक 13.01.2015 एवं भारत सरकार के पत्रांक–RT-11036/80/2012-MVL दिनांक 9 जून, 2015 के माध्यम से इन वाहनों के पंजीयन, ई–रिक्शा चालकों को ड्राईविंग लाईसेंस जारी करने, इन वाहनों को परमिटों से आच्छादित करने के सम्बन्ध में प्राविधान किये गये है।

1. ई–रिक्शा वाहन क्या है:–

ई–रिक्शा का तात्पर्य ऐसी मोटरवाहन से है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं हो:–

- वाहन बैट्री चालित हो। मोटर की शक्ति 2000 वॉट से अनधिक हो।
- तिपहिया वाहन हो।
- वाहन की अधिकतम स्पीड 25 किलोमीटर/घण्टा से अनधिक हो।
- वाहन की सीटिंग क्षमता चालक को छोड़कर कुल 04 व्यक्ति से अनधिक हो। यात्रियों के अतिरिक्त 40 किलो से अनधिक भार भी ले जाया जा सकता है।
- ये वाहन किराये पर संचालित होगे।

2. ई रिक्शा वाहन के संचालन के लिये अपेक्षित प्रपत्र:–

व्यवसायिक श्रेणी की वाहन होने के कारण ई–रिक्शा वाहन का संचालन करने हेतु निम्नलिखित वैध प्रपत्र होने आवश्यक है:–

- वाहन का पंजीयन।
- फिटनेस।
- परमिट।
- बीमा।
- कर जमा करना।
- ई–रिक्शा को चलाने हेतु ड्राईविंग लाईसेंस।

3. दिनांक 08.10.2014 के पूर्व विक्रय किये गये एवं बिना पंजीयन, फिटनेस, परमिट, ड्राईविंग लाईसेंस संचालित ई–रिक्शा वाहनों की स्थिति:–

- दिनांक 08.10.2014 को भारत सरकार के द्वारा ई–रिक्शा वाहन को व्यवसायिक मोटरवाहन की श्रेणी में सम्मिलित करने से पूर्व सम्बन्धित नियमों के अभाव में इन वाहनों का क्रय–विक्रय अनियंत्रित तरीके से हुआ है। जिसके फलस्वरूप काफी संख्या में अपंजीकृत ई–रिक्शा अवैधानिक तरीके से संचालित हुये।
- ये वाहन केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के नियम 126 के अन्तर्गत किसी भी टेस्टिंग एजेंसी से अनुमोदित नही थे, न ही इन पर परिवहन आयुक्त कार्यालय से कोई

अनुमोदन प्राप्त किया गया था। अतः सड़क सुरक्षा की दृष्टि से इन वाहनों की उपयुक्ता/अनउपयुक्ता के बारे में स्थिति स्पष्ट नही है।

- ये वाहन परमिट, बीमा, फिटनेस आदि से भी अच्छादित नही है। अतः दुर्घटना की दशा में मोटरवाहन दुर्घटना राहत निधि से किसी भी प्रकार की राहत एवं बीमा मुवावजा आदि दिया जाना सम्भव नही होगा।
- इन वाहनों द्वारा कोई कर भी जमा नही किया जा रहा है।
- उपरोक्त प्रकार की वाहनों की बड़ी संख्या को दृष्टि में रखते हुये भारत सरकार ने GSR 27 (E) दिनांक 13.01.2015 द्वारा यह निर्देश दिये थे कि इस प्रकार की अपंजीकृत संचालित ई–रिक्शा वाहनों के निर्माता, पंजीकृत ई–रिक्शा निर्माता एसोसिएशन प्रत्येक मॉडल की वाहन परिवहन कार्यालय में प्रस्तुत करेगें। इस प्रकार प्रस्तुत की गयी सभी मॉडलों को परिवहन विभाग द्वारा सत्यापित कर दिया जायेगा, तत्पश्चात् इन्हीं सीमित मॉडलों को टेस्टिंग ऐजेन्सी केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के नियम 126 द्वारा विहित परीक्षणोंपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर पंजीयन हेतु अनुमोदन प्रदान किया जायेगा। तद्पोरान्त इन वाहनों का परिवहन कार्यालय द्वारा पंजीयन किया जाना था। इस हेतु दिनांक 13 जुलाई, 2015 तक की अवधि प्रदान की गयी थी परन्तु अभी तक ई–रिक्शा निर्माता एसोसिएशन के द्वारा ऐसा कोई भी आवेदन परिवहन कार्यालय में प्रस्तुत नही किया गया है।
- इन वाहनों के पंजीयन हेतु अवधि बढ़ाने के लिये भारत सरकार से अनुरोध किया जा रहा है।

4. <u>अपंजीकृत एवं परमिट, फिटनेस, बीमा , ड्राईविंग लाईसेंस के बिना अनधिकृत रूप से संचालित ई–रिक्श के सम्बन्ध में रिट पिटीशन (PIL) 153 में मा0 उच्च न्यायलय, उत्तराखण्ड के आदेश एवं अनुपालन की स्थितिः–</u>

- अपंजीकृत संचालित ई–रिक्शा के सम्बन्ध में रिट पिटीशन (PIL) 153 में मा0 उच्च न्यायलय, उत्तराखण्ड ने अपने निर्णय दिनांक 03.03.2015 में यह आदेश पारित किये कि बिना पंजीयन एवं बिना वैध प्रपत्रों के (परमिट, फिटनेस, बीमा, कर जमा, ई–रिक्शा ड्राईविंग लाईसेंस) ई–रिक्शा का संचालन बन्द किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि कोई भी ई–रिक्शा निर्माता/डीलर बिना अस्थाई/अस्थाई पंजीयन के ई–रिक्शा का परिदान क्रेता को नही करेगा।
- उक्त आदेशों के अनुपालन में अवैधानिक रूप से संचालित ई–रिक्शाओं पर रोक लगाने के लिये विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गयी है।
- इन वाहनों के संचालन पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग के सभी प्रवर्तन अधिकारियों एवं पुलिस विभाग को सघन चेकिंग एवं कठोर कार्यवाही के आदेश दिये गये है फलतः लगभग 70 वाहनों के चालान/बन्द किये गये है।

5. ई रिक्शा वाहन निर्माता/डीलर के दायित्वः–

- अन्य मोटर वाहनों की भांति ही ई–रिक्शा वाहन का विक्रय करने वाले निर्माता /डीलर को वाहन विक्रय करने से पूर्व केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–34 के अन्तर्गत मोटरवाहन पंजीयन अधिकारी से प्रपत्र 16 पर ट्रेड प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- ई–रिक्शा के किसी भी मॉडल का उत्तराखण्ड में विक्रय करने से पूर्व वाहन निर्माता/डीलर को उस मॉडल के पंजीयन अनुमोदन हेतु परिवहन आयुक्त कार्यालय में उस मॉडल की वाहन को प्रस्तुत करके वाहन का निरीक्षण करवाया जायेगा। इस हेतु निरीक्षण शुल्क रू0–2000.00 जमा किया जायेगा। निरीक्षोंपरान्त वाहन के टेस्टिंग एजेंसी (VRDE Ahamadnagar or ARAI Pune, CFMT Budni (MP), IIP, Dehradun, CIRT, Pune, ICAT, Manesar,) द्वारा दिये गये अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुरूप पाये जाने पर परिवहन आयुक्त द्वारा पंजीयन हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी।
- वर्तमान में ई–रिक्शा के मॉडल अनुमोदन हेतु निम्नलिखित कम्पनियों के द्वारा परिवहन आयुक्त कार्यालय में आवेदन प्राप्त हो गये हैः–

S.N0.	Company	Model	Testing Agency
1	M/s Saera Electric Auto Pvt. Ltd., Khasra No-10445/4644/216. Industrial Area Daultabad Road, Gurgaon [Haryana]-122001.	MAYURI DELUX E-Rickshaw	I.C.A.T.-Manesar, Gurgaon [HR]
2	M/s Hovel Cylinder Pvt. Ltd. 15-Rashid Market, Gali No.-02, Delhi-110051.	Hovel E-Rickshaw	I.C.A.T.-Manesar, Gurgaon [HR]
3	M/s Knight Queen Industries Pvt. Ltd. Village Kheri, Trilokpur Road, Kala Amb, Distt-Sirmour [Himachal Pradesh]-173030.	SHAURYA ER-005 E-Rickshaw SHAURYA E-Cargo. E-Cart	I.C.A.T.-Manesar, Gurgaon [HR]
4	M/s Lohia Auto Industries, H-193, Sector-63, Noida, Gautam Budh Nagar [Uttar Pradesh]-201309.	Humrahi E-Rickshaw	I.C.A.T.-Manesar, Gurgaon [HR]
5	M/s CLH Gaseous Fuel Applications Pvt. Ltd. Hall no.-1, Alier Bhangrola Road, IMT Manesar, Gurgaon [Haryana] Pin-122505. INDIA.	Green Rick E-Rickshaw	I.C.A.T.-Manesar, Gurgaon [HR]
6	M/s RSD Security Solutions Pvt. Ltd., 2B, Grant Lane, 1st Floor, Post Office & Police Station Bow Bazar, Kolkata-700012. 201, Composite House, 170 Prajapat Nagar, Opp. B-4 Gulmohar Park, New Delhi-49.	TWITTER, E-Rickshaw	V.R.D.E.-Ahmadnagar [M.H]
7	M/s Nikhil Furnitures, N52, MIDC, Hingna Road, Nagpur-440016. [MH]	MAXI-Passenger/CART	C.I.R.T.PUNE [M.H]
8	M/s Terra Motor India Pvt. Ltd. A-22, Green Park Main, Aurobindo Marg, New Delhi-110016.	Y4, E-Rickshaw	A.R.A.I.-PUNE [M.H]
9	M/s Electrotherm India Ltd. 72, Village Palodia, Via Thaltej, Ahmedabad-382115, Gujrat, INDIA.	E-WINNER, E-Cart	I.C.A.T.-Manesar, Gurgaon [HR]
10	M/s Champion Poly Plast, 487/68, Peera Garhi Industrial Area, New Delhi-110087.	SAARTHI, E-Rickshaw	I.C.A.T.-Manesar, Gurgaon [HR]
11	M/s Electrotherm India Ltd. 72, Village Palodia,	E-TAXE,	I.C.A.T.-Manesar,

	Via Thaltej, Ahmedabad-382115, Gujrat, INDIA.	E-Rickshaw	Gurgaon [HR]
12	M/s Goenka Electric Motor Vehicles Pvt Ltd. Basement, 6 Shiva Enclave, Pitampura, Delhi-110034.	QUEEN E-Rickshaw	I.C.A.T.-Manesar, Gurgaon [HR]
13	M/s Goenka Electric Motor Vehicles Pvt Ltd. Basement, 6 Shiva Enclave, Pitampura, Delhi-110034.	PRINCE E-Rickshaw	I.C.A.T.-Manesar, Gurgaon [HR]
14	M/s U.P. Telelinks Ltd. 686, Chapraulla, G.T. Road, Ghaziabad,201001 [Uttar Pradesh]	Singham E-Rickshaw	I.C.A.T.-Manesar, Gurgaon [HR]
15	M/s Thukral Electric Bikes Pvt. Ltd. Kh. No.-30/8, Ground Floor, Gali No-4, Master, Mohalla, Village Libaspur, Industrial Area, Delhi-42.	THUKRAL Er1 E-Rickshaw	I.C.A.T.-Manesar, Gurgaon [HR]

- उपरोक्त वाहनों के निरीक्षण हेतु एक कमेटी का गठन दिनांक 25 जून, 2015 को कर दिया गया है, जिसके द्वारा 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।
- प्रत्येक निर्माता/मोटरयान डीलर का यह दायित्व होगा कि केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम–42 के अन्तर्गत वाहन का स्थायी/अस्थायी पंजीयन किये बिना वाहन का परिदान क्रेता को नही किया जायेगा।

6. ई–रिक्शा की फिटनेस की वैधताः–

- ई–रिक्शा वाहन की फिटनेस की वैधता 03 वर्ष होगी।

7. ई–रिक्शा हेतु परमिट की अनिवार्यताः–

- ई–रिक्शा वाहन का संचालन आर0टी0ए0, एस0टी0ए0 द्वारा निर्धारित मार्गों पर आर0टी0ए0 से परमिट प्राप्त करने के पश्चात् ही किया जायेगा। इस हेतु मण्डलायुक्तों (अध्यक्ष, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण) द्वारा सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश निर्गत किये गये है।

8. ई–रिक्शा चालकों के लिये पृथक ड्राईविंग लाईसेंस की अनिवार्यताः–

- भारत सरकार द्वारा मोटरवाहन अधिनियम, 1988 व केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 में संशोधन करते हुये यह व्यवस्था दी गयी है कि ई–रिक्शा चालकों को ई–रिक्शा चलाने के लिये पृथक से व्यवसायिक ड्राईविंग लाईसेंस प्राप्त करना होगा।
- उपरोक्त ड्राईविंग लाईसेंस प्राप्त करने हेतु ई–रिक्शा चालकों को व्यवसायिक ड्राईविंग लाईसेंस प्राप्त करने के लिये निर्धारित कतिपय नियमों में निम्नवत् शिथिलता प्रदान करते हुये यह प्राविधान किया गया है कि–
  - ई–रिक्शा चालकों को व्यवसायिक ड्राईविंग लाईसेंस प्राप्त करने के लिये अनिवार्य शैक्षिक योग्यता (कक्षा–8 पास) से छूट दी गयी है।
  - उपरोक्त लाईसेंस प्राप्त करने के लिये न्यूनतम 01 वर्ष पुराना निजी हल्का मोटरयान ड्राईविंग लाईसेंस के धारक होने से छूट प्रदान कर दी गयी है।

- व्यवसायिक ड्राईविंग लाईसेंस प्राप्त करने के लिये किसी मान्यता प्राप्त मोटर ड्राईविंग ट्रैनिंग स्कूल से न्यनतम 01 माह का प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनिवार्यता के स्थान पर किसी भी पंजीकृत ई–रिक्शा एसोशिएसन, ई–रिक्शा निर्माता से 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करने की व्यवस्था की गयी है।

- ई–रिक्शा चलाने के लिये प्रदत्त ड्राईविंग लाईसेंस, ई–रिक्शा संचालन हेतु निर्धारित मार्गो पर ही वैध होगा। लाईसेंस की वैधता अवधि 03 वर्ष होगी।

9. ई–रिक्शा वाहनों से करो की वसूलीः–

- ई–रिक्शा वाहनों पर तिपहिया टैक्सी की भॉति रूपये–730 प्रति सीट, वार्षिक कर देय होगा।